DRM FOR IPTV REDEFINED

New norms for Digital Rights Management

DRM is a widely used tool for copyright protection for digital media, helps prevent unauthorized redistribution of digital media, and curbs the way consumers can copy content. DRM is implemented by embedding code that prevents copying, specifies a time in which the content can be accessed or limits the number of devices the media can be installed on.

TRAI new directive for the implementation of DRM with the consultation undertaken to prepare the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual . The Draft Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 was issued on 27.08.20 19 which included issues related to Digital Rights Management Systems.

The IPTV-based DPOs are switching to DRM technology and the Audit regime covers the DRM based networks and provides for enabling provisions for such operators. The Authority received numerous comments and suggestions from various stakeholders on this issue. Numerous modification/additions were proposed by several stakeholders.

TRAI constituted a committee comprising industry stakeholders to prepare and submit draft 'System Requirement for Digital Right Management (DRM)' to the Authority.

TRAI

सत्यमेव जयते

Telecom Regulatory Authority of India

(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

आईपीटीवी के लिए डीआरएम को पुनःपरिभाषित किया गया

डिजिटल राइट मैनेजमेंट के लिए नये मानदंड

डीआरएम डिजिटल मीडिया के लिए कॉपीराइट सुरक्षा के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, जो डिजिटल मीडिया के अनधिकृत पुनर्वितरण को रोकने में मदद करता है और उपभोक्ताओं द्वारा सामग्री की डुप्लिकेट बनाने के तरीके पर अंकुश लगाता है। डीआरएम को एम्बेडिंग कोड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जो डुप्लिकेट बनाने से रोकता है, उस समय को निर्दिष्ट करता है जिसमें सामग्री तक पहुंचा जा सकता है या मीडिया स्थापित किये जा सकने वाले उपकरणों की संख्या को सीमित करता है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल तैयार करने के लिए किये गये परामर्श के साथ डीआरएम के कार्यान्वयन के लिए ट्राई का नया निर्देश। ड्राॅफ्ट टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रसारण और केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (संशोधन) विनियम **2019** को **27.08.2019** को जारी किया गया था जिसमें डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट्स सिस्टम से संबंधित मुद्दे शामिल थे।

आईपीटीवी–आधारित डीपीओ डीआरएम तकनीकी पर स्वीच कर रहे हैं और ऑडिट व्यवस्था डीआरएम आधारित नेटवर्क को कवर करती है और ऐसे ऑपरेटरों के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करती है। प्राधिकरण को इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों से कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हुए। कई हितधारकों द्वारा कई संशोधन/परिवर्धन प्रस्तावित किये गये थे।

ट्राई ने प्राधिकरण को 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट' (डीआरएम)

After extensive deliberations, the committee submitted a report on "System requirement for Digital Right Management (DRM)" to be included in Schedule III of the Interconnection Regulation to the Authority.

Accordingly, TRAI had issued Consultation Paper on 'System Requirement for Digital Right Management (DRM)' in the form of draft amendment in the Interconnection Regulation 2017 on September 9, 2022. The comments of the stakeholders were invited by October 7, 2022 and counter comments, by October 21, 2022.

The main features of the amendments are as follows:

- ❖ DRM requirements in so far as they relate to subscriber management systems (SMS) for IPTV services.
- ❖ DRM requirements for conditional access by subscribers and encryption for IPTV services.
- ❖ DRM requirements in so far as they relate to fingerprinting for IPTV services.
- ❖ DRM requirements in so far as they relate to STBs/ unique consumer subscription
- ❖ An enabling, technology-neutral, light-touch regulatory regime, which facilitates growth and technological developments while protecting the consumer's interest is promoted to foster overall growth. ■

के लिए सिस्टम आवश्यकता का मसौदा तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उद्योग हितधारकों की एक समिति का गठन किया है।

व्यापक विचार–विमर्श के बाद समिति ने प्राधिकरण को इंटरकनेशन विनियमन की अनुसूची **3** में शामिल करने के लिए 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट' (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता' पर एक रिपोर्ट सौंपी। तदनुसार ट्राई ने **9** सितंबर **2022** को इंटरकनेक्शन विनियमन **2017** में मसौदा संशोधन के रूप में 'डिजिटल राइट मैनेजमेंट' (डीआरएम) के लिए सिस्टम आवश्यकता पर परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों की टिप्पणियां **7** अक्टूबर **2022** तक आमंत्रित की गयी थी और जवाबी टिप्पणियां **21** अक्टूबर **2022** तक देना था।

संशोधन की मुख्य विशेषतायें इस प्रकार हैंः

- ❖ डीआरएम आवश्यकतायें जहां तक वे आईपीटीवी सेवाओं के लिए ग्राहक प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) से संबंधित हैं।
- ❖ ग्राहकों द्वारा कंडिशनल एक्सेस और आईपीटीवी सेवाओं के लिए एन्क्रिप्शन के लिए डीआरएम आवश्यकतायें।
- ❖ डीआरएम आवश्यकतायें जहां तक वे आईपीटीवी सेवाओं के लिए फींगरप्रिंटिंग से संबंधित है।
- ❖ जहां तक डीआरएम आवश्यकतायें एसटीबी/विशिष्ट उपभोक्ता सब्सक्रीप्शन से संबंधित है।
- ❖ एक सक्षम, तकनीकी तटस्थ, लाइट टच नियामक शासन, जो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करते हुए विकास और तकनीकी विकास को सुविधाजनक बनाता है, समय विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-9108208956 Tel.: +91-22-6216 5313 Email: geeta.lalwani@nm-india.com